

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई. रमेश कुमार चौधरी,
सरकार के अवर सचिव (प्र०)।

सेवा में,

श्री रामजी प्रसाद,
सहायक अभियंता (निलंबित)
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग।

SPEED POST

रॉची, दिनांक :-----/

विषय : ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची द्वारा निर्गत संकल्प एवं अधिसूचना का तामिला कराने के संबंध में।

प्रसंग : उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक 9026(अनु०) दिनांक 04.12.2012 एवं 2627 (अनु०) दिनांक 04.05.2013

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची की अधिसूचना सं.-6682 दिनांक 11.11.2011 तथा संकल्प सं.-8347 दिनांक 18.10.2012 की छायाप्रति संलग्न कर आपके आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग को अनुलग्नक की छायाप्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपसे अनुरोध है कि अनुलग्नक की प्रति श्री रामजी प्रसाद, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग को तामिला कराते हुए इसकी सूचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

2687

रॉची, दिनांक :- 14-5-13

प्रतिलिपि : उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची को उनके पत्रांक 2627 दिनांक 04.05.13 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची की अधिसूचना सं.-6682 दिनांक 11.11.11 जल संसाधन विभाग को अनुपलब्ध है। जल संसाधन विभाग की अधिसूचना सं.-3019 दिनांक 30.06.12 के द्वारा श्री रामजी प्रसाद, सहायक अभियंता की सेवा ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई है, और ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं.-8646 दिनांक 09.11.12 द्वारा इनका पदस्थापन, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग के पद पर किया गया है।

ह०/-

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र०)

SPEED POST

FAX

ज्ञापक :-

2687

रॉची, दिनांक :- 14-5-18

प्रतिलिपि : वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को विभागीय वेब साईड पर इम्पलाई नोटिस के अंतर्गत अप लोड करने हेतु प्रेषित।

अड: चयन

(रमेश कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव (प्र.)

अधिसूचना

अधि०सू०सं०- 5(मु०ग्रा०से०)-282/2011/6682/ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 11.11.11

ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत चैनपुर प्रखण्ड अंतर्गत केचकी-अवसाने पथ पर कोयल नदी पर निर्मित पुल के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची से करायी गयी। मुख्य अभियंता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री रामजी प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू (सम्प्रति जल संसाधन विभाग) को कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के लिए दोषी पाया गया है।

अतएव उक्त पुल के निर्माण कार्य में सतत पर्यवेक्षण नहीं रखने एवं अनियमितता बरतने के लिए दोषी पाये जाने के कारण श्री रामजी प्रसाद, सहायक अभियंता को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बन किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्री रामजी प्रसाद को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 96 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. निलम्बन अवधि में श्री रामजी प्रसाद मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची में संलग्न रहेंगे।
4. श्री रामजी प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ किये जाने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(जनमेजय ठाकुर)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 5(मु०ग्रा०से०)-282/2011/6682/ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 11.11.11

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 5(मु०ग्रा०से०)-282/2011/6682/ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 11.11.11

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 5(मु0ग्रा0से0)-282/2011/ 6682 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक- 11.11.11

प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि श्री रामजी प्रसाद, सहायक अभियंता का निलम्बन आदेश को सम्पुष्ट करने की कृपा की जाय।

[Signature]
11/11/11

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 5(मु0ग्रा0से0)-282/2011/ 6682 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक- 11.11.11

प्रतिलिपि:- माननीय उपमुख्यमंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू/श्री रामजी प्रसाद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू (सम्प्रति जल संसाधन विभाग) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
11/11/11

सरकार के उप सचिव।

दीप्ता
11/11/11

(11)

**झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।**

—: संकल्प :—

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि श्री रामजी प्रसाद, निलम्बित सहायक अभियंता (तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू) द्वारा ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू में पदस्थापन अवधि में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत चैनपुर प्रखण्ड के केचकी अवसाने पथ पर कोयल नदी पर पुल निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही एवं नींव निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है, जैसा कि अनुबद्ध में अंतर्विष्ट आरोपों में उल्लेखित है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि श्री रामजी प्रसाद, निलम्बित सहायक अभियंता (सम्प्रति जल संसाधन विभाग) के विरुद्ध अनुबद्ध में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए असाैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम-55 में विहित रीति विभागीय कार्यवाही की जाय।

2. श्री रामजी प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री ब्रजमोहन कुमार, मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर जमशेदपुर संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर प्रस्तुत करें जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि संकल्प की अनुबद्ध प्रति के साथ:—

1. संचालन पदाधिकारी, श्री ब्रजमोहन कुमार, मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर।
2. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू।
3. श्री रामजी प्रसाद, निलम्बित सहायक अभियंता (सम्प्रति जल संसाधन विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

15/10/12
(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 5(मु0ग्रा0से0)—282/2011/8347 (अनु0) /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक— 18.10.2012

प्रतिलिपि:— अनुबद्ध की प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, श्री ब्रजमोहन कुमार, अभियंता, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पलामू/श्री रामजी प्रसाद, निलम्बित सहायक अभियंता (सम्प्रति जल संसाधन विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक द. माह में सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

18/10/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक— 5(मु0ग्रा0से0)—282/2011/8347 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक— 18.10.2012

प्रतिलिपि:— माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उपमुख्य (ग्रामीण विकास) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

18/10/12

सरकार के उप सचिव।